

**बिहार विधान सभा सचिवालय**  
**विज्ञापन संख्या-02/2018**  
**परीक्षाफल**

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2018 के अन्तर्गत सभा सचिवालय में कनीय लिपिक के पद पर मेधा के आधार पर आरक्षण कोटिवार नियुक्ति हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है:-

Sl No	Roll Number	Candidate's Name	Father's Name	Category
1	30151796	AMIT KUMAR	KESHAV PRASAD SINGH	BC
2	12123897	KIRAN KUMARI	RAVINDRA SINGH	UR
3	13106367	PRABHAKAR KUMAR	DINESH MAHTO	BC
4	23144478	GUDDU KUMAR DAS	MAHENDRA DAS	SC
5	12153421	TABASSUM KHATOON	MD BABU JAN	BC
6	32116891	SUDHIR KUMAR MISHRA	NIRANJAN MISHRA	UR
7	26139250	BITTU KUMAR SINGH	DILIP KUMAR SINGH	UR
8	31134525	RANJEET KUMAR	LAL BABU GUPTA	BC
9	12123999	PRAKASH KUMAR PASWAN	GANGA PASWAN	SC
10	23144457	RAMAN KUMAR	CHANDRASHEKHAR PANDIT	EBC
11	15154194	PRIYANSHU KUMARI	PREM PRAKASH CHAUDHARY	BC
12	27169038	AVINASH KUMAR	DASHI RAM	SC
13	21102679	SHWETA SHALINI	SHIVSHANKAR GUPTA	EBC
14	24121075	VIDYA BHARTI	RAM SWARUP YADAV	BC
15	14100718	PUJA KUMARI	ANIL KUMAR	EBC
16	18119594	LUCY RANI	BAL KISHORE PRASAD	SC

उक्त सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सभा सचिवालय के कमरा संख्या-107 में दिनांक 06.03.2019 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में होगा। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।

**अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजातों के साथ उपस्थित होंगे :-**

- कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card)।
- दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
    - जातिप्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)।
    - स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।
  - पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
    - जाति प्रमाण पत्र,
    - स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
    - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
- जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।

  
 सचिव 28/02/19  
 बिहार विधान सभा